संख्या- 68 /2026/001-1310-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- ''फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम'' के अंतर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 382.32 लाख के सापेक्ष रू0 22.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,योजना एवं कृषि वानिकी,उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या- पी-990/36-टी-311(**फारेस्ट फायर**) दिनांक 23.06.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में वित्तीय वर्ष 2026-27 में **केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-''फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम''** योजना के अवमुक्त की गई **केन्द्रीय सहायता धनराशि रू0 13.68 लाख में राज्यांश की धनराशि रू0 9.12 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 22.80 लाख (रू0 बाईस लाख अस्सी हजार मात्र)**की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।
4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।
5. व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।
6. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय सम्बन्धी- समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
7. प्रश्नगत स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-पी-990/36-टी-311(फारेस्ट फायर) दिनांक 23.06.2026 में अंकित विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतएव किसी भी लिपिकीय एवं आंकिक त्रुटि के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत स्वीकृति के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यो की शतप्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जाय।
9. उक्त के अतिरिक्त समस्त वित्तीय नियमों/प्राविधानों/निर्देशों एवं औपचारिकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कराये गये कार्यो के फोटोग्राफ्स/भौतिक मासिक प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण समयबद्ध रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० द्वारा विषयगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।
13. विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
14. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
15. विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
16. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। विभागाध्यक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17. विभागाध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार भारत सरकार के पत्र सं०-3-2/2026-एफ०पी०डी०(कम्प्यूटर नं०-298711), दिनांक 18.06.2026, द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे। विभागाध्यक्ष भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2406011010101 (फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेंजमेंट स्कीम(के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406011010101 फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेंजमेंट स्कीम(के.60/रा.40-के.)	02 मजदूरी	5,57,000 (रुपये पाँच लाख सत्तावन हजार मात्र)
2	060	2406011010101 फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेंजमेंट स्कीम(के.60/रा.40-के.)	29 अनुरक्षण	5,30,000 (रुपये पाँच लाख तीस हजार मात्र)
3	060	2406011010101 फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेंजमेंट स्कीम(के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	11,93,000 (रुपये ग्यारह लाख तिरानबे हजार मात्र)
	कुल			**22,80,000 (रुपये बाईस लाख अस्सी हजार मात्र)**

महायोग	22,80,000 (रुपये बाईस लाख अस्सी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-7-34-X-2026-27-दिनांक: 31-7-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या- 68(1)/2026/001-1310-81-4-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in